F.A.Q.

क्र0 सं0	श्रमिकों द्वारा अधिकांशतः पूछे जाने वाले प्रश्न	श्रमिको को बताये गये जवाब
1.	मैं मजदूरी करता हूं। श्रम विभाग (उ0 प्र0 भवन एंव बोर्ड) की योजनाओं का लाभ किस प्रकार से ले सकता हूं ।	श्रम विभाग में श्रमिक पंजीयन कराने के बाद आप योजनाओं में आवेदन कर सकते हैं।
2.	मैं किसान हूँ , खेती –बाडी करता हूँ। क्या मैं योजनाओं का लाभ ले सकता हूँ अगर नहीं तो फिर कौन कौन ले सकता है ।	नहीं ,सिर्फ निमार्ण कार्य में जो मजदूर कार्य करतें हैं वे ही पंजीयन करा सकते है औंर उनकी उम्र 18 से 60 साल के बीच में होनी चाहिये जो पंजीयन करा सकते है उनकी सूची निम्न है–
3.	मेरा पंजीयन कार्ड बना है पर कोई पैसा नहीं मिल रहा है	पंजीयन कार्ड बनते ही पैसे नहीं मिलते है योजना में आवेदन के बाद लाभ मिलता हैं।
4.	कार्ड बने दो महीने हो गये है, बहन की शादी है, पैसा कब मिलेगा	बहन की शादी हेतु कोई योजना नहीं हैं परन्तु पुत्री विवाह हेतु पंजीयन को एक वर्ष पूर्ण होना चाहिये जिसके लिये योजना में आवेदन करना होगा।
5.	मेरे गांव मे मोटर सायकिल से दो व्यक्ति आये है कार्ड बनवााने के लिये एक हजार रुपये खर्च बता रहे है क्या बनवा लूं ?	पंजीयन हेतु श्रम कार्यालय से या किसी जनसुविधा केन्द्र से सम्पर्क करें पंजीयन शुल्क 20 रूपया एंव एक वर्ष अंशदान हेतु 20 रूपया हैं ।
6.	मै श्रमिक हूँ पांच वर्ष हो गये कार्ड बने नवीनीरण कब कराना हैं ?	कार्ड का नवीनीकरण प्रत्येक वर्ष कराना अनिवार्य हैं अधिकतम तीन वर्ष का एक साथ नवीनीकरण कराया जा सकता है। विलम्ब शुल्क के साथ अधिकतम दो वर्ष तक आप अंशदान जमा कर सकते हैं अन्यथा आपका कार्ड बन्द हो जायेगा।
7.	मुझे योजना का आवेदन किये तीन माह हो गये पर अभी तक योजना का लाभ नहीं मिला ।	कृपया आप अपने निकटतम श्रम कार्यालय से सम्पर्क करें ।
8.	श्रम कार्यालय मेरे घर से बहूत दूर है फार्म कहीं अन्यत्र जमा कर सकता हूं ?	आप अपने निकटतम ,किसी भी जनसुविधा केन्द्र में फार्म जमा कर सकते हैं।
9.	श्रम कार्यालय में कोई भी कर्मचारी ढंग से वार्ता नहीं करता है और योजनाओं के लिये अनाप शनाप खर्च बताता है इन समस्याओं के लिये किससे सम्पर्क करूँ ?	स्थानीय कार्यालय के उच्च अधिकारी से सम्पर्क करें एंव आई. जी. आर. एस. पोर्टल पर सी. एम. हेल्प लाइन 1076 पर शिकायत दर्ज करें।
10.	वर्तमान में मजदूरों के लिये कौन कौन सी योजनायें चल रहीं है ?	वर्तमान में मजदूरो के लिये अनेकों योजनायें चल रही हैं जैसे–(शिशु हित लाभ योजना ,मातृत्व हित लाभ योलना चिकित्सा सहायता योजना ,बालिका मदद योजना, सौर उर्जा सहायता योजना ,पुत्री विवाह ,शिक्षा सहायता ,मेधावी छात्र पुरस्कार , आवास सहायता योजना)इत्यादि।
11.	योजना का लाभ आधा ही मिला है बाकी राशि कब मिलेगी ?	जिन योजनाओं में द्वितीय किश्त मिलती है उनके आवेदन भरकर कार्यालय से सम्पर्क करें।
12.	पंजीयन का नवीनीकरण नहीं करा पाया क्या	श्रमिक पंजीयन का नवीनीकरण कराये बगैर आप

	लाभ मिलेगा ?	किसी भी योजना में आवेदन नहीं कर सकते है।
13.	क्या एक साथ कई योजनाओं के फार्म भर सकते हैं ?	आप एक साथ कई योजनाओं में आवेदन कर सकते है।
14.	कार्ड खो गया है दुबारा कैसें बनेगा ?	पंजीयन नम्बर बता कर आप अपने कार्ड का प्रिंट आउट किसी भी जनसुविधा केन्द्र से प्राप्त कर सकतें है और यदि पंजीयन नंबर नही है तो आप स्थानीय कार्यालय से सम्पर्क करें।
15.	मोबाइल पर संदेश क्यों भेजा है ?	श्रमिक पंजीयन एंव योजनाओं में आवेदन संबंधी जानकारी के लिये संदेश जाते है।
16.	श्रमिक पंजीयन कितने दिन में हो जायेगा?	श्रमिक पंजीयन जनहित गारंटी के अंतर्गत आर्वत्त है अतःआवेदन करने के उपरान्त पंजीयन 7 दिन के भीतर हो जाता है।
17.	अधिष्ठान पंजीयन कितने दिन में हो जायेगा?	श्रमिक पंजीयन जनहित गारंटी के अंतर्गत आर्वत्त है अतःआवेदन करने के उपरान्त पंजीयन 7 दिन के भीतर हो जाता है।

पत्रांक संख्या –3619–20/भ0 नि0 बो0 (878–A)/18 दिनांक –28.9.2018 कें संदर्भ में प्रेषित।

(अंजली श्रीवास्तव)

(पंकज मिश्रा)